केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)

केमाशिबो/शैक्ष./सस(दीगु)/2023 **दिनांक: 25.08.2023**

परिपत्र संख्या: शैक्षणिक-101/2023

केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुख

विषय: साइबर अपराध को रोकने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए विद्यालयों में साइबर क्लबों का गठन के सम्बन्ध में।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

डिजिटल प्रौद्योगिकियों और ऑनलाइन सेवाओं को तेजी से और व्यापक रूप से प्रयोग के साथ, हमारे साइबरस्पेस की सुरक्षा सुनिश्चित करना व्यक्तिगत सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक बन गया है। डेटा उल्लंघनों और साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए साइबर-सुरक्षा और साइबर-रक्षा कौशल की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। जागरूकता बढ़ाने और साइबर खतरों से निपटने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आवश्यक है कि विद्यालयों के विद्यार्थियों को साइबर स्वच्छता और संभावित साइबर खतरों के विषय में उचित ढंग से सूचित किया जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी तेजी से साइबर अपराध की चपेट में आ रही है।

इस मुद्दे के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की है। इस केंद्र का उद्देश्य साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित ढांचा प्रदान करना है। साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने के लिए, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें एसएमएस के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, ट्विटर (@Cyberdost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberdosti4c), और टेलीग्राम (cyberdosti4c) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कई मीडिया में प्रचार के लिए माइगोव को सम्मिलित किया है, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित किए हैं, किशोरों/विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की है, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत से प्रयास किए हैं। सभी हितधारकों को व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

इन प्रयासों के अनुरूप, I4C बैठकों के दौरान विद्यालयों में साइबर क्लब बनाने की अवधारणा का सुझाव दिया गया है। ये साइबर क्लब स्थापित करके, शिक्षक, विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में खोज करने, सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें उनकी भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित किया जा सके।

अत: विद्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने विद्यालयों में एक साइबर क्लब बनाएं और साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं। साइबर सुरक्षा का ज्ञान रखने वाले एक शिक्षक को साइबर नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाना चाहिए, जिसका विवरण केमाशिबो ओएसिस पोर्टल में भरा जाना है। I4C या केमाशिबो द्वारा नामित शिक्षक के माध्यम से विद्यालयों को परामर्श और साइबर सुरक्षा सुझाव नियमित रूप से भेजे जाएंगे।

साइबर क्लबों के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ सुझाई गई हैं:

- साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में संभावित करियर के विषय में विद्यार्थियों को व्याख्यान, व्यावहारिक गतिविधियाँ और प्रस्तुतिकरण करने के लिए वक्ताओं को आमंत्रित करना।
- विद्यालयों में स्थापित कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में ओपन-सोर्स टूल पर विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कार्यस्थल या कक्षा में साइबर सुरक्षा से संबंधित समाचार लेख या फोटोग्राफ प्रदर्शित करने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाना।
- साइबर धोखाधड़ी और साइबर जागरूकता जैसे विषयों पर विद्यार्थियों द्वारा नाटकों का आयोजन करना।
- विद्यार्थियों को विभिन्न साइबर क्विज़/ओलंपियाड में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए साइबर क्विज़, प्रतियोगिताएं और हैकथॉन आयोजित करना।
- क्विज़ विजेताओं या साइबर जागरूकता सूचना के प्रसार में सक्रिय रूप से सम्मिलित उत्कृष्ट विद्यार्थियों को "स्कॉलर बैज" से सम्मानित करना।
- साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध को रोकने पर क्षेत्रीय भाषाओं में एक समाचार पत्र का प्रकाशन। विद्यार्थियों से नए विचारों को आमंत्रित करने के लिए सामग्री को इन्फोग्राफिक्स और इंटरएक्टिविटी के साथ रुचिकर और उदाहरणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- प्रार्थना सभा सत्र के दौरान विद्यार्थियों के साथ दैनिक साइबर टिप्स साझा करना।
- साइबर क्लब के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से जन जागरूकता शिविरों का आयोजन।
- साइबर सुरक्षा से संबंधित क्या करें और क्या न करें तैयार करना और विद्यालय में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना।

विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, ये साइबर क्लब एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देने और हमारे समाज में साइबर अपराधों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कृपया ***cyberclubs@cbseshiksha.in*** पर ईमेल करें।

शुभकामनाओं सहित

डॉ. जोसफ इमानुवल
निदेशक (शैक्षणिक)

नीचे दर्शाए अनुसार निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी विद्यालयों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रति:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया,नोएडा-201,309
3. सचिव, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सचिव, सैनिक विद्यालय सोसायटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001
5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक विद्यालय नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054
7. सार्वजनिक निर्देश निदेशक (विद्यालय), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ -160017
8. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
9. विद्यालय शिक्षा निदेशक, । अरुणाचल प्रदेश सरकार ईटानगर -791 111
10. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
11. विद्यालय शिक्षा निदेशक, लद्दाख, कमरा नंबर 101-102, भूतल, परिषद सचिवालय, कुर्बाथांग, कारगिल - लद्दाख
12. विद्यालय शिक्षा निदेशक, आंध्र प्रदेश, तीसरी मंजिल, बी ब्लॉक, अंजनेय टावर्स, वीटीपीएस रोड, भीमाराजू गुट्टा, इब्राहिमपटनम, आंध्र प्रदेश - 521 456
13. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसईएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली
14. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली -110001
15. सचिव, एडब्ल्यूईएस रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट -110010
16. अध्यक्ष, केमाशिबो के उप सचिव
17. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/सभी निदेशक, केमाशिबो
18. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को भेजें।
19. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सहायक सचिव, केमाशिबो
20. सभी प्रमुख/प्रभारी, उत्कृष्टता केंद्र, केमाशिबो
21. प्रभारी आईटी एकक को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को केमाशिबो की शैक्षणिक वेबसाइट पर डाला जाए
22. प्रभारी, पुस्तकालय
23. रिकॉर्ड फ़ाइल

निदेशक (शैक्षणिक)